[illegible]

17/6/25 पत्रा. पेश हुई वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी अनुपस्थित। चूंकि दावा वादी उक्त हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है अतः प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य शेष नहीं रहता है। प्रार्थना पत्र [illegible] खारिज किया जाता है।

पत्रा. फैसल शुमार हो, जेबा नि कायदा दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:53:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner